

न्यायालय:- अंचल अधिकारी, गाँवा जिला-गिरिडीह

आदेश फलक

वाद का प्रकार

अभिलेख सं०-

आदेश का क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित																																				
18-02-25	यह अभिलेख राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है। राजस्व उपनिरीक्षक का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा गावों थाना नं०- 189 के खाता नं०- 29 क्रमशः प्लॉट नं०- 120, 149, 150, 157, 158, 159 तथा 160 क्रमशः 0.14 एकड़, 0.14 एकड़, 0.40 एकड़, 0.07 एकड़, 0.19 एकड़, 0.14 एकड़, 1.12 एकड़, 0.90 एकड़ कुल रकवा- 3.10 एकड़ सर्वे खतियान गणपत महतो पिता- लटन महतो रैयती दर्ज है। प्रथम पक्ष सहदेव महतो पिता-एतवारी महतो साकिन-गावों के द्वारा लगान रसीद सं०-25405 दिनांक 02.03.1987 एवं 3214342 दिनांक 04.07.2001 प्रस्तुत किया है। गणपत महतो के नाम से पंजी 2 में जमाबंदी नहीं पाया गया है। प्रथम पक्ष का जमीन पर दखल कब्जा है, शेष भूमि पर द्वितीय पक्ष दखलकार का नाम इस प्रकार है। <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र०सं०</th><th>दखलकार का नाम</th><th>पिता/पति का नाम</th><th>खाता नं०</th><th>प्लॉट नं०</th><th>रकवा</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>बालेश्वर प्रसाद सिन्हा</td><td>बद्रीनारायण प्रसाद सिन्हा</td><td>29</td><td>160</td><td>अंश भाग</td></tr> <tr> <td>2</td><td>कांग्रेस यादव</td><td>गोविन्द यादव</td><td>29</td><td>160</td><td>अंश</td></tr> <tr> <td>3</td><td>चुटर महतो</td><td>मेधु महतो</td><td>29</td><td>155,157,159, 160</td><td>अंश</td></tr> <tr> <td>4</td><td>मदन यादव</td><td>चेतन महतो</td><td>29</td><td>120,159,160</td><td>अंश</td></tr> <tr> <td>5</td><td>जयराम राणा वो अमृत राणा पिता-चुल्हन राणा वो विकु राणा वो रंजन राणा पिता-सत्यनारायण मिस्त्री वो जगदीश राणा वो बुधन राणा पिता-भिखन मिस्त्री साकिन-गावों।</td><td>-</td><td>29</td><td>149, 157, 159, 158</td><td>अंश</td></tr> </tbody> </table> उक्त दखलकार के द्वारा उक्त जमीन संबंधित कोई भी राजस्व कागजात अब तक नहीं दिखाया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि अवैध रूप से दखल कब्जा जमीन पर बनाये हुए है। दोनों पक्षों में विवाद है। रैयती जमीन का मामला है। यह मामला स्वत्व वाद का बनता है, जिसका सक्षम न्यायालय में निपटारा किया जा सकता है। अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित <i>Al</i> 18-02-25 अंचल अधिकारी गाँवा <i>18/02/25</i> <i>Al</i> 18-02-25 अंचल अधिकारी गाँवा <i>18/02/25</i>	क्र०सं०	दखलकार का नाम	पिता/पति का नाम	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा	1	बालेश्वर प्रसाद सिन्हा	बद्रीनारायण प्रसाद सिन्हा	29	160	अंश भाग	2	कांग्रेस यादव	गोविन्द यादव	29	160	अंश	3	चुटर महतो	मेधु महतो	29	155,157,159, 160	अंश	4	मदन यादव	चेतन महतो	29	120,159,160	अंश	5	जयराम राणा वो अमृत राणा पिता-चुल्हन राणा वो विकु राणा वो रंजन राणा पिता-सत्यनारायण मिस्त्री वो जगदीश राणा वो बुधन राणा पिता-भिखन मिस्त्री साकिन-गावों।	-	29	149, 157, 159, 158	अंश	
क्र०सं०	दखलकार का नाम	पिता/पति का नाम	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा																																	
1	बालेश्वर प्रसाद सिन्हा	बद्रीनारायण प्रसाद सिन्हा	29	160	अंश भाग																																	
2	कांग्रेस यादव	गोविन्द यादव	29	160	अंश																																	
3	चुटर महतो	मेधु महतो	29	155,157,159, 160	अंश																																	
4	मदन यादव	चेतन महतो	29	120,159,160	अंश																																	
5	जयराम राणा वो अमृत राणा पिता-चुल्हन राणा वो विकु राणा वो रंजन राणा पिता-सत्यनारायण मिस्त्री वो जगदीश राणा वो बुधन राणा पिता-भिखन मिस्त्री साकिन-गावों।	-	29	149, 157, 159, 158	अंश																																	